न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 116/2024 **दायर दिनांकः 29.08.2024**

उनवान

रामलाल पि. नाराण जाति धोबी नि. पिडावा तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार तहसील पिड़ावा
2. ओमप्रकाश पि. देवीलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
3. जगदीशचंद्र पि. देवीलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
4. नंदकिशोर पि. देवीलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
5. श्यामलाल पि. देवीलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
6. शोभा पि. देवीलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा
7. रुक्मणीबाई पत्नि स्व. देवीलाल जाति माली नि. पिड़ावा तहसील पिड़ावा

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वकील प्रार्थी :— श्री ईश्वरसिंह
अप्राथी सं. 1 :— तहसीलदार पिड़ावा
अप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 :— श्री सुभाष दांगी
अप्रार्थी सं. 6 :— एकतरफा

<u>आदेश</u> **दिनांक : 02.07.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा की खाता सं. 547 की खसरा सं. 2197/1821 रकबा 0.0128 हेक्टर खसरा सं. 341 रकबा 0.2529 हे. खसरा सं. 343 रकबा 0.0126 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.2723 हेक्टर आराजी स्थित है जो प्रार्थी के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2074—2077 [illegible] तहसील पिड़ावा की खसरा संख्या 342 रक[illegible]) जो कि अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 की खातेदारी [illegible]342 की [illegible] क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा सं. 296 है। रा[illegible] कर्मचारियों द्वारा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज के समय खसरा नंम्बर 342 को गत खसरा नंम्बर 296 के स्थान पर अंकित नहीं किया जाकर प्रार्थी के खसरा नंम्बर 341 में अंकित किया हुआ है। जो कि गलत है। सेटलमेंट के समय खसरा नंम्बर 342 को गत खसरा नंम्बर 296 से बनाया गया था और खसरा नंम्बर 296 खसरा नं. 334, 335, 336 के पूर्व में स्थित है तथा पुराने नक्शे में इस खसरा सं. 296 के साथ वर्तमान खसरा सं. 342 भी अंकित है। यह कि खसरा सं. 342 के खातेदार सनातन से पुराने खसरा नं. 296 वाले स्थान पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। खसरा नं. 342 के नक्शे में गलत जगह अंकित हो जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण शुद्धिकरण द्वारा खसरा नं. 342 को नक्शे में पूर्व खसंरा नं. 296 के स्थान पर अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पिड़ावा तहसील पिड़ावा की खसरा संख्या 342 को नक्शे में पुराने खसरा नं. 296 के स्थान पर अंकित किये जाने हेतु शुद्धिकरण के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ. /2024/286 दिनांक 25.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रिर्पोट पटवारी हल्का पिडावा मौके व जाँच रिर्पोट अनुसार– प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रामलाल पुत्र नारायण जाति धोबी निवासी दललेपुरा पिडावा द्वारा बताया गया हैं कि सेटलमेन्ट करते समय ग्राम पिडावा की आराजी ख० न० 342 को गलती हमारे खातेदारी भूमि ख० न० 341 में दर्ज कर दिया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–77 आराजी ग्राम पिड़ावा ख० न० 339 रकबा 0.0379 है., 1814/341 रकबा 0.3035 हे., 1813/341 का रकबा 0.1265 है., 341 रकबा 0.2529 है. 343 रकबा 0.0126 है., 2194/1816 का रकबा 0.0190 खातेदार रामलाल पुत्र नाराण हि० पूर्व जाति धोबी सा दहे खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–77 ग्राम [illegible] आराजी ख० न० 342 रकबा 0.1518 है. खातेदारान अप्रार्थीगण 1. [illegible] प्रकाश पुत्र देवीलाल 2 जगदीशचन्द पुत्र देवीलाल 3. नन्दकिशोर पुत्र देवीलाल 4. रूकमणीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पत्नि देवीलाल 5. श्याम लाल पुत्र देवीलाल 6. शोमा पुत्री देवीलाल हिस्सा समस्त 1/6 जाति गण माली सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–77 अनुसार ख० न० 328 रकबा 0.3288 है., 329 रकबा 0.3920 है., 1726/334 का रकबा 0.2403 है., 1727/334 का रकबा 0.1644 है., 335 रकबा 0.0506 है. 336 रकबा 0.1138 है. ,337 रकबा 0. 0253 है., 338 रकबा 0.1138 है. भी खातेदारान अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक नक्शा लटटा ख० न० 342 ख0न0 341 में डॉट लाईन से दर्शाया गया हैं तथा ख० न० 343 के उत्तर में ख० न० 327 के दक्षिण दिशा में ख० न० 348 मायाखेडी रोड के पश्चिम में एक खसरा खाली छोड रखा हैं जिसमें कोई नम्बर अंकित नहीं हैं नक्शा टेस संलग्न है। वर्तमान भू० नक्शा अनुसार उक्त खाली स्थान पर ख० न0 2140/327 रकबा 0.0252 हे० मंन्जूबाई पत्नी गंगाराम हि० पुर्व जाति गुर्जर सा० देह ख० न० 2139 रकबा 0. 0632 हे० खातेदार 1 अनीस मोहम्मद पुत्र शफी मो० हि० 1275 रकबा 0.403 है. जाति मुसलमान सा० देह खातेदार 2. प्रतिभा सिहँ पत्नि रामसिहँ हि० 91/272 जाति राजपुत सा महुलहा पो० गोंदखुर्द 3. मो रशीद पुत्र अ० अजीज हि0 420776/1684485 जाति पिजारा सा० पिडावा 4. रमेशचन्द पुत्र मदनलाल जाति माली सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। मुताबिक सेटलमेंट मिलान खसरा न0 327 का रकबा 0.18 बिस्वा गत खसरा 291 का रकबा 0.18 बिस्वा तथा ख० न० 342 का रकबा 0.10 का गत खसरा 296 का रकबा 0.12 बिस्वा बनाया गया। मुताबिक सेटलमेन्ट नक्शा सम्वत 2019 में ख० न० 327, 291 एक साथ तथा ख० न० 342, 296 एक साथ दर्ज हैं संलग्न नक्शानुसार। वर्तमान में दर्ज ख० न० 342 रकबा 0.1518 हे० पर प्रार्थी रामलाल पुत्र नाराण जाति धोबी का ही कब्जा हैं व वर्तमान में काश्त भी कर रहा हैं। सेटलमेन्ट नक्शा में खसरा न० 342 दो स्थानो पर अंकन हुआ है। जो एक मानवीय त्रुटि के कारण हुआ हैं लेकिन बाद सेटलमेन्ट नक्शा में उक्त दो स्थानो पर दर्ज ख० न0 342 को एक जगह अंकन [illegible] दुसरी [illegible] रिक्त छोड दिय गया हैं जो एक मानवीय त्रुटि के का[illegible] में किसी भी खातेदार का कोई रकबा कम [illegible] अपनी जगह पर सही काबिज हैं बाद जॉच रिपोर्ट श्रीमान की [illegible]वा में सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न. 1 राजस्व रेकार्ड से संबधित है प्रार्थी साबित करें। यह कि ग्राम पिडावा के खसरा न. 342 रकबा 0.1518 हेक्टेयर अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होना सही है शेष तथ्य अस्वीकार है। वर्तमान नक्शे आंनलाइन मे खसरा न 296 के स्थान पर यानि जो नक्शा ट्रेस में खाली स्थान है उसमे खाली स्थान पर खसरा न. 2140/327 रकबा 0.0252 हेक्टेयर मन्जूबाई पत्नि गंगाराम गुर्जर, खसरा न. 2139/327 रकबा 0.0632 हेक्टेयर अनीस मोहम्मद पुत्र शफीक मोहम्मद, प्रतिभा सिंह पत्नि रामसिंह, मोहम्मद रशीद पुत्र अब्दुल अजीज, रमेशचन्द पुत्र मदनलाल जाति माली खसरा न. 2138/327 रकबा 0.1392 हेक्टेयर नफीस अहमद पुत्र वहीद खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो खसरा नम्बरान हटाने पर ही उस स्थान पर खसरा न. 342 दर्ज किया जा सकता है तथा नक्शे मे रकबा पूरा होना भी आवश्यक है तभी त्रुटि को सही किया जा सकता है। यह कि मौके पर कभी कोई विवाद नही हुआ है। लेकिन वर्तमान नक्शा ट्रेस के खाली स्थान पर ऑनलाइन नक्शे मे अन्य खसरा न. 2140/327, खसरा न. 2139/327 खसरा न. 2138/327 दर्ज हो रहे है जिन्हें हटाने पर ही व खसरा न. 342 का नक्शे में पूरा रकबा आने पर ही शुद्धीकरण समभव हो सकता है अन्य आनलाइन खसरा नम्बरान के दर्ज रहते शुद्धीकरण नही हो सकता है। यह कि उक्त पेरा कानुनी है। अत जवाब पेश कर निवेदन हे कि यदि अप्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा न 342 रकबा 0.1518 हेक्टेयर का रकबा नक्शे में पूरा होता हो तो आनलाइन नक्शे में आने वाले खसरा नम्बरान 2140/327, खसरा न. 2139/327 खसरा न.2138/327 को हटाकर ही शुद्धीकरण किया जा सकता है आनलाइन नक्शे मे अन्य खसरा नम्बारान के दर्ज रहते शुद्धीकरण नही हो सकता है। अन्य न्यायोचित सहायता व हर्जा–खर्चा जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे अप्रार्थीगण को दिलाया जाने कि कृपा करें।

4. अप्रार्थी सं. 6 के [illegible] रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 31.01.2025 से अप्रा. सं. [illegible] के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं. 7 द्वारा [illegible] अवसर देने के बाद भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जवाब पेश नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.03.2025 से अप्रार्थी सं. 7 का जवाब अवसर बंद किया गया।

5. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 547, 215 की नकल एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 04.08.2023 की छायाप्रति, मिलान क्षेत्रफल नकल, नक्शा किश्तवार, खसरा नवशा दिनांक 27.08.2023 पेश की।

6. अप्रार्थी सं. 2 से 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 215 की नकल, खसरा नवशा दिनांक 23.09.2024, दिनांक 21.03.2025 पेश किया।

7. अभिभाषकगण प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 341 रकबा 0.2529 है., ख.नं. 1814/341 रकबा 0.3035 है. एवं ख.नं. 343 रकबा 0.0126 है. प्रार्थी रामलाल पि. नारायण धोबी के खाते दर्ज है जबकि ख.नं. 342 रकबा 0.1518 है. अप्रार्थी सं. 2 से 7 के खाते दर्ज है। राजस्व कार्मिको द्वारा तहसील पिडावा को आनलाईन करते समय गंभीर लापरवाही करते हुए बिना किसी प्राधिकार के प्रार्थी की भूमि ख.नं. 341 व 1814/341 और खनं. 343 के राजस्व नक्शे में मध्य अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 342 की तरमीम कर दी गई जबकि मूल नक्शा लटठा में प्रार्थी की भूमि मूल ख.नं. 341 व 343 एक दूसरे से लगवा स्थित है। दोनो खसरो के मध्य अन्य कोई ख.नं. स्थित नहीं है। सेग्रिगेशन के दौरान ख.नं. 342 के स्थान पर राजस्व कार्मिको ने ख.नं. 2139/327 (मूल ख.नं. 327 से बना नया बटा नं.) को दर्ज कर दिया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि मूल लटठा नक्शा में अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 342 ख.नं. 343 के लगवा उत्तर दिशा में तथा खनं. 327 के लगवा दक्षिण दिशा में स्थित था अर्थात अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 342 ख.नं. 343 [illegible] बीच में स्थित था। मूल लटठा नक्शा में ख.नं. 342 के पूर्व में लगवा [illegible] रास्ता एवं पश्चिम में लगवा ख.नं. 336, 335 व 334 स्थित थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

8. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया गया कि खसरा नं. के अंकन में त्रुटी केवल राजस्व रिकार्ड में हुई है जबकि मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण व अन्य काश्तकार अपनी अपनी जगह सही जगह कब्जा काश्त है। वर्तमान आनलाईन नक्शे में जिस स्थान पर ख.नं. 2139/327 व 2140/327 दर्ज है, वहां मौके पर आज भी अप्रार्थीगण कब्जा काश्तरत है। इसी प्रकार आनलाईन नक्शे में जहां अप्रार्थीगण का ख.नं. 342 अंकित है वहां मौके पर आज भी प्रार्थी कब्जा काश्तरत है। पेरोकार सरकार तहसीलदार ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2024 में राजस्व कार्मिको द्वारा मोजूद नक्शे में की गई त्रुटी को स्वीकार करते हुए प्रार्थी के अनुतोष को स्वीकार किया है और मूल लटठा नक्शा में ख.नं. 342 की जगह कोई खसरा नं. अंकन नहीं किये जाने अर्थात खसरा नं. के डिब्बे को रिक्त छोड दिये जाने को मानवीय त्रुटी मानते हुए दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के अनुतोष को स्वीकार किया है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धि की जावे।

9. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 से 5 व 7 ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि लटठा नक्शा में जिस जगह या डिब्बे को रिक्त दिखाया गया है वहां आनलाईन नक्शे में राजस्व कार्मिको ने ख.नं. 2139/327 व 2140/327 दर्ज किये गये है ज़बकि इस स्थान पर मौके पर अप्रार्थीगण कब्जा काश्त चले आ रहे है। आगे तर्क किया कि मौके पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं अन्य सभी पडौसी काश्तकार अपने स्थान पर सही रूप से कब्जा काश्तरत है। यदि अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 342 के रकबे को यथावत रखते हुए राजस्व नक्शे में प्रार्थी के अनुतोष अनुसार दुरूस्ती की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

10. पेरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि लटठा नक्शा में ख.नं. 342 को ख.नं. 341 में डॉट लाईन से दर्शाया गया है और ख.नं. [illegible] के उत्तर दिशा, ख.नं. 327 के दक्षिण दिशा में एवं मायाखेडी रोड ख.नं. [illegible] के पश्चिम दिशा में एक खसरा को खाली छोड कर उसमें कोई नं. अंकित नहीं किया है। सं. 2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सन 1961 के ग्राम पिडावा के नक्शा किश्तवार में ख.नं. 342 को दो स्थानो पर अंकित किया गया है। एक जगह मूल ख.नं. 341 की पूर्वी दिशा में डॉट लाईन से अंकित किया गया है और दूसरी जगह ख.नं. 327 के दक्षिण में व ख.नं. 343 के उत्तर में अंकित किया है। तहसीलदार ने आगे कथन किया कि सेटलमेंट के दौरान साबिक ख.नं. 296 रकबा 0–12 बीघा से नया ख.नं. 342 रकबा 0–12 बीघा और साबिक ख.नं. 291 रकबा 0–18 बीघा से नया ख.नं. 327 रकबा 0–18 बीघा बनाया गया। तहसील पिडावा को आनलाइन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान लटठा नक्शा में रिक्त पडे डिब्बे के स्थान पर मानवीय भूलवश ख.नं. 2139/327 व 2140/327 अंकित कर दिये गये। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खसरो के राजस्व नक्शो में मानवीय त्रुटी हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

11. अभिभाषकगण प्रार्थी, अप्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश भूप्रबंध विभाग के ग्राम पिडावा के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख.नं. 296 रकबा 0–12 बीघा से वर्तमान ख.नं. 342 रकबा 0–12 बीघा बनाया गया और साबिक ख.नं. 291 रकबा 0–18 बीघा से वर्तमान ख.नं. 327 रकबा 0–18 बीघा बनाया गया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 302 मि. रकबा 0–16 बीघा, साबिक ख.नं. 303 मि. रकबा 0–02 बीघा, साबिक ख.नं. 304 मि. रकबा 1–11 बीघा, साबिक ख.नं. 306 मि. रकबा 1–08 बीघा व साबिक ख.नं. 307 मि. रकबा 0–16 बीघा कुल किता 5 रकबा 4–13 बीघा से वर्तमान ख.नं. 341 रकबा 4–13 बीघा बनाया गया है। सेटलमेंट विभाग के ग्राम पिडावा की वादग्रस्त आराजी के लटठा नक्शा के अवलोकन से जाहिर है कि मायाखेडी सडक ख.नं. 348 के लगवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 327 व 343 स्थित है। इन दोनो ख.नं. के मध्य एक खसरा डिब्बा बना हुआ है जिसमें कोई नं. अंकित नहीं कर रखा है। ख.नं. 343 के लगवा उत्तर पश्चिम में ख.नं. 342 अंकित है, ख.नं. 342 के पश्चिम में ख.नं. 343 से लगवा ख.नं. 341 अंकित है। खाली डिब्बे वाले स्थान के लगवा पश्चिम दिशा में ख.नं. 334, 335 व 336 अंकित है। प्रार्थी द्वारा पेश कस्बा पिडावा के नक्शा किश्तवार सं. 2018 सन 1961 के अवलोकन से जाहिर है कि मायाखेडी सडक के पश्चिम में लगवा वादग्रस्त जगह पर तीन डब्बे बने हुए

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है जिसमें से उत्तर दिशा वाले डब्बे/खसरे मे दो नम्बर – 291, 327, मध्य वाले डब्बे/खसरे मे दो नम्बर – 296, 342 एव दक्षिण दिशा वाले डब्बे/खसरे मे 343 नम्बर अंकित है। 343 के लगवा उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नं0 341 स्थित है जिसमें डाट लाईन से खसरा नं0 342 भी अंकित कर रखा है। अतः उक्त नक्शा किस्तवार के अवलोकन से जाहिर है कि नक्शे में खसरा नं0 342 दो जगह अंकित है जिसमें से एक जगह गहरी लाईन से और दुसरी जगह डाट लाईन से दर्शाया गया है। जो संभवतः त्रुटी वश होना जाहिर होता है। तहसीलदार पिड़ावा ने भी अपनी रिपोर्ट मे खसरा नं. 342 की डाट लाईन से की गई तरमीम को कार्मिकों की मानवीय भूल स्वीकार किया है। **कस्बा पिड़ावा के उक्त नक्शा किस्तवार में जिस जगह पर साबिक खसरा नं0 296 व नया खसरा नं0 342 अंकित है उस जगह या डब्बे को लट्ठा नक्शा मे खाली छोड दिया गया है। तहसीलदार पिड़ावा की रिपोर्ट एवं बहस के अनुसार लट्ठा नक्शा में खाली छोडा गया डब्बा/स्थान/खसरा पर मौके पर खसरा नं0 342 के काश्तकार यानी अप्रार्थी क्रम 2 से 7 कब्जाकांश्त है। अप्रार्थीगण 2 से 7 ने भी अपनी बहस में उक्त रिक्त छोडे गये डब्बे/स्थान पर स्वयं कि भूमि खसरा नं0 342 होना स्वीकार किया है और मूल खसरा नं0 341 की पूर्वी दिशा पर डाट लाईन से अंकित डब्बे पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित है कि सेटलमेन्ट के दौरान मायाखेडी रोड के लगवा एवं खसरा नं0 327 व 343 के मध्य जिस जगह/डब्बे को लट्ठा नक्शा मे रिक्त छोडा गया है, वहां खसरा नं0 342 है और खसरा नं. 341 की पूर्व दिशा में डाट लाईन से की गई तरमीम गलत जाहिर होती है।**

12. तहसीलदार पिड़ावा, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा एकमत होकर स्वीकार किया है कि तहसील पिड़ावा को वर्ष 2019 में ऑनलाईन करते समय सेग्रीगेशन के दौरान लट्ठा नक्शा में खसरा नं. 342 खाली छोडे गये डब्बे व स्थान को 1:1 मेपिंग के समय राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रृटी वश खसरा नं0 ख.नं. 2139/327 व 2140/327 अंकित क[illegible]ार कर तरमीम दुरुस्त करने को उचित बताया है। [illegible] माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी [illegible] अनुसार सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा रिकार्ड ऑफ राईट[illegible] एवं राजस्व नक्शे मे बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

सक्षम आदेश के कि गई त्रुटियों को दुरुस्त करने का अधिकार अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट सहायक भूअभिलेख अधिकारी के रुप में उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई है।

13. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पिड़ावा के खसरा नम्बर 342 एवं ख.नं. 341 के लट्ठे नक्शे मे सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा एवं सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन राजस्व नक्शे में राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई जिसे धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

14. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम पिडावा तहसील पिडावा के खसरा नम्बर 342 एवं 341 के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांकः 1286 दिनांक 25.10.2024 एवं संलग्न पटवारी रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम पिड़ावा के लट्ठा नक्शा में लट्ठा नक्शा में खसरा नं. 341 की पूर्वी दिशा में डाट लाईन से की गई खसरा नं. 342 की तरमीम को दुरुस्त कर खसरा नं0 327 व 343 रिक्त छोडे गए डब्बे/जगह पर किये जाने के और वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा नं. 343 के उत्तर मे व 2139/327 के दक्षिण में लट्ठा नक्शा अनुसार लगवा तरमीम आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/7/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner